





**कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
काठमाडौं प्रदेश-सम्बन्धित।**

संख्या- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/२०२०/१०११

सम्बद्ध दिनांक: १५-०८-२०२०

**-कार्यालय द्वारा-**

अधिकांश सरकारी तहसीली शिक्षा परिषद नई जिल्ला/कार्यवाही अर्थात् इतिहास नई जिल्ला द्वारा वार्षिक सत्र २०२०-२१ हेतु निम्नलिखित सरकारी तहसीली शिक्षा समितियों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के तुरन्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, काठमाडौं सम्बन्धित से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक-१५-०८-२०२० को अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद, काठमाडौं सम्बन्धित की अध्यक्षता में परिषद कार्यवाही में बैठक कायम हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र २०२०-२१ हेतु कार्यवाही नई जिल्ला की सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धता विस्तार/सम्बद्धता विस्तार/कार्यवाही/प्रशासक अथवा वृद्धि संबंधित अन्य सभी पर विचार करना हेतु सत्र २०२०-२१ हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक के अनुमोदन में सम्बद्धता समिति की बैठक के सत्र-३ में विद्यमान इन कार्यालय कार्यालय तहसीली जिल्ला कार्यालय से सम्बद्ध संबंधितों को प्रकल्पण एका सत्र। सम्बद्धता समिति द्वारा सत्र विचार-विमर्श सह निम्नलिखित निर्णय लिए गए -

निम्नी श्रेणी में स्थापित विद्यालय इन कार्यालय कार्यालय तहसीली जिल्ला जहाँ प्राविधिक शिक्षा परिषद, काठमाडौं सम्बन्धित से पूर्व से सम्बद्ध है, एवं सत्र २०२०-२१ हेतु पीठरी/कार्यालय द्वारा उन्हें प्रस्तावित अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन जिल्ला में पीठरी/कार्यालय द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुमोदन संबंधी नाम के सम्बद्ध अधिकार कार्यवाही/इसे सत्र २०२०-२१ हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं कार्यवाही से पीठरी/कार्यालय द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुमोदन में सत्र २०२०-२१ हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक १५-०८-२०२० को काठमाडौं सम्बद्धता समिति की बैठक में विचार किये गये कार्यालय निर्णय के अनुमोदन में निम्न कार्यालय प्राविधिक शिक्षा परिषद, काठमाडौं सम्बन्धित द्वारा सत्र २०२०-२१ हेतु निम्नलिखित सत्रों में आगामी कार्यालय सत्र वसन्त ऋतु प्रवेश समिति हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. संख्या	संस्था का नाम	कार्यालय का नाम	पीठरी/कार्यालय द्वारा सत्र २०२०-२१ में अनुमोदन प्रदान किया गया	पीठरी/कार्यालय/परिषद द्वारा सत्र २०२०-२१ में अनुमोदन प्रदान किया गया
१	अधिकांश सरकारी तहसीली प्राविधिक कार्यालय, काठमाडौं-जिल्ला (विशेषी कार्यालय)	जिल्ला इन कार्यालय	हां	हां

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संख्या एकात्मिक/कार्यालय/पीठरी/कार्यालय द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों को पूर्णतः पालन करेंगी।
- ✓ संख्या प्रस्तावित प्रविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदान किये प्राविधिक शिक्षा परिषद निम्नलिखित: १९९२ संविधान विधिवत/२०१५ संविधान अथवा निम्नलिखित विधियों पर कार्यवाही का अनुमोदन करेगी तथा सुदूर स्थित समिति द्वारा निर्धारित सुदूर स्थित प्रविधिक कार्यालयों हेतु सत्र २०२०-२१/ - प्रविधिक से प्रविधिक अथवा कार्यालय हेतु सत्र-२०२०-२१/ - प्रविधिक सत्र सत्र का आगामी कार्यालय सत्र प्रविधिक कार्यालय के अतिरिक्त हेतु सत्र-२०२०-२१ प्रविधिक सुदूर से प्रविधिक प्रदान/प्रदान से प्रदान किया जाएगा। कार्यालय के अतिरिक्त प्रदान/प्रदान से सुदूर के प्रविधिक से प्रदान-सत्र सत्र कायम द्वारा निर्णय किये जाने वाले कार्यालय प्रशासकीय श्रेणी और अनुमोदन संबंधित किये

*(Handwritten signature)*



**कार्यालय,**

**राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश महानगर।**

संख्या - प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

संख्यक: दिनांक: 09/08/2021

**-कार्यालय ताम:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी कार्यालय और इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा वीकिक संव 2021-22 हेतु विलीयत तारीख तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश महानगर से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा संव 2021-22 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य स्टाफ पर विचार किये हुए संव 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० महानगर द्वारा संव 2021-22 हेतु अनुमोदित जारी के अर्थात् पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का पता एवं नाम: 1225-AKHIRESH YADAV PHARMACY COLLEGE YAKOOTPUR, POST-AKKA DILARI, MORADABAD-244001

क्रम सं०	संस्था का नाम:	ए० आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा संव 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा संव 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1.	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तक प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा संव निर्मित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा कूल निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तैय करेगी। पाठ्यक्रम हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, टी वीसीए फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक-उभा-टी वीसीए पाठ्यक्रमों (टी वीसीए फार्मसी विभागीय के अंतर्गत) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही उपरोक्त छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वास्तविक प्रतिक्रिया किये जाने वाले आवश्यक प्रस्तावों को, और अनुसूचित कार्यवाही किया जाने आवश्यक होगा। दीस निर्धारण समिति द्वारा संव 2021-22 हेतु फीस का पुनर्विचारण किया जाता है, जो फीस की सर्वोत्तम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समिति) तथा उ० महानगर, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाने। विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संपूर्ण प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित छात्रों को ही प्रवेश दिला जाएगा। संघों के रिजल्ट आने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को संव 2021-22 के निर्मित समयसार के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को ए0आई0सी0पी0आई0/सी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/विप्लो/अधिनियमों/आमलदारों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0पी0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0पी0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0पी0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.जी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो उन संस्था में संसद उत्तराखण्ड संसद का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था बाध्य उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बात दायर किया जाता है तथा दायर बाद के संबंध में या, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संसद प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए अंतर्देशित प्रवेश परीक्षा हेतु जायजिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्ही प्रवेश की (जायजिलिंग के काल में संसद संस्था पर एड कोई प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्दिष्ट न्यूनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने पंजीकरण पर संस्था की संसद सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्ति किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त साठाकरण उपलब्ध बनाने के साथ रोगी रोकने के सम्बन्ध में संसद आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य काम के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने की अनुरोध की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्वतंत्र निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, फर्नीचर, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0पी0आई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनसूचक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू0स0- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य, निदेशक, AKHILESH YADAV PHARMACY COLLEGE, YAKOOTPUR, POST-ANKA  
DILARI, MORADABAD-244001

  
(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव